

प्रेम्स,

**स्वायत्त सुन्दर अभिधीनी
संयुक्त विधायक
उत्तर प्रदेश शासन ।**

सेवा में,

**विधायक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
ब्लॉक-2, बाराबंकी,
प्रति विचार, बाराबंकी ।**

विषय 671 अनुभाग

संलग्नक : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2002

विषय:-

उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सचिव मोरवा मुकामबगर को सी०बी०ए०सी० बाराबंकी से संबंधित हेतु अपरिचित प्रमाण पत्र पिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

**उपरोक्त विषय की और आपका स्वागत आह्वान करते हुये गुने यह कथे
का विशेष ध्यान है कि उक्त संबंधित विद्यार्थी को सी०बी०ए०सी० बाराबंकी से
संबंधित हेतु अपरिचित प्रमाण पत्र पिये जाने में उक्त राज्य सरकार की निम्न-**

लिखित प्रतिबंधों के अधीन अपरिचित नहीं है :-

- 1.1 विद्यार्थी की पंजीकृत साक्षात्पटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 1.2 विद्यार्थी की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 1.3 विद्यार्थी में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे 3090 मा० शिक्षा परिषद द्वारा संबंधित विद्यार्थियों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 1.4 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यार्थी की संबद्धता राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फोर ट्रि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट उद्योगमिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त राष्ट्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 151 संस्था के लिए एवं शिक्षण उत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त करने के लिए। कर्मचारियों को अनुमति दी जायेगी कि वे अन्य भूतलों से कम वतनमान तथा अन्य भूतलों में भी जा सकेंगे।
- 161 कर्मचारियों की सेवाएं इतनी बढ़ा दी जाएंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असाक्षीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी अधिष्ठान निर्गत किये जायेंगे उन्हें उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृत में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रातिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रातिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गड़बड़ या झिझक होती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

। स्वा. सुन्दर सिंह कोठी ।
मुख्य सचिव ।

पू.सं. - 3343

111/15-7-तद्विनिर्देश

प्रातिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मध्यम-सहाय शिक्षा निदेशक, **बहालपुर**।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **मुक्तसरवर**।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेजी भारतीय विद्यालय उ.प्र., लखनऊ।
- 5- प्रमुख, **सुन्दर सिंह कोठी मुख्यालय**।
- 6- सचिव, **सुन्दर सिंह कोठी मुख्यालय**।

अ.स.स.

। अशोक कुमार ।
मुख्य सचिव ।